NOTICE

CH-15 Road No.-2 S.K. Nagar Pat

From,

Mr.Saket Tiwary, Phone No. :8051594353

Advocate for the petitioner.

Patna High Court, Patna

To,

The Advocate General.

Patna High Court.

C.W.J.C .... OF 2014

Nitin Anand .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others ....**Respondents.**

Please take notice that the above mentioned application is going to be filed, a copy of which is being served upon you for your use and information.

Kindly acknowledge the receipt.

Ashok Kr. Dc XI

12.9.14

(SAKET TIWARY)

Advocate

AOR No.00542

Date: 12/9/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C ……………... OF 2014

Nitin Anand ……… **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others ………..**Respondents**

Sub. : Trade and Commerce

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1	An Application Article 226 of the Constitution of India with Affidavit	1-10
2	Annexure-1 : A copy of Memo No. 626-2 dated 26.12.2013	11-12
3	Annexure-2 : A copy of the correspondences made by the Petitioner	13-17
4	Annexure-3 : A copy of the received on 20.2.13.	18
5	Annexure-4 : A copy of Letter No. 2275 dated 23.08.2013	19
6	Annexure-5 : A copy of the reply to show cause	20-21
7	Annexure-6 : A copy of the notice of certificate proceeding	22
8	Annexure-7 : A copy of letter No. 66 dated 08.01.2014	23
4	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C .... OF 2014

Nitin Anand .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar and Others ....**Respondents**

Sub. : Trade and Commerce

SYNOPSIS

The petitioner was working as Executive Assistant with the State Food Corporation. The petitioner has been held responsible for loss of wheat and certificate case has been instituted against him. The procurement center in which the petitioner was working did not had adequate storing facility and thus it was directed that the wheat may be stored at flood relief camp at block Gamhariya.

Due to lack of storage facility and the auction purchaser not depositing the money, the alleged loss accrued for which the petitioner has been held liable.

LIST OF DATES

26.12.11- Petitioner appointed as Executive Assistant.

23.8.13- Show cause issued.

13.11.13- Certificate issued

21.2.14- Reply to Show cause.

Hence this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C .... OF 2014

In the matter of Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of

Nitin Anand, Son of Amrendra Mishra, Resident of Village- Vidyapuri, Ward No. 18, S.B.I Road, Madhepura, P.S.- Madhepura, District- Madhepura.

.... **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar through Prinicipal Secretary, Department of Food and Civil Supplies,New Secretariat, Madhepura.
2. The Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited, Patna.
3. The Managing Director, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited, Patna.
4. The District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited, Madhepura.
5. The District Magistrate, Madhepura.

6. The Certificate Officer-cum-senior Deputy Collector, Madhepura.

...........**Respondents**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The Humble petition on behalf of the petitioner above named

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this humble application for quashing the Certificate Case No. 23/2013-14 pending before the District Certificate Officer, Madhepura.
2. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court seeking the same relief on any earlier occasion.
3. That the Petitioner is Citizen of India and resides in the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That the petitioner was appointed as Executive Assistant on contractual basis with the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation vide order contained in Memo No. 626-2 dated 26.12.2011.

A copy of Memo No. 626-2 dated 26.12.2013 is annexed herewith and Marked as **Annexure-1** to this application.

5. That the scope of work of the Petitioner, as a Executive Assistant was to collate data, record in the computer, prepare reports and was responsible for sending data to Head Office.
6. That the State Food Corporation procured wheat and use to auction it.
7. That the Petitioner was posted at Ghailadh Purchase Centre.
8. That the purchase centre did not had enough space to store the wheat that was being received.
9. That due to lack of adequate space in the procurement centre it was directed by the higher authorities to store the wheat in the flood relief camp at Gamhariya Block
10. That the petitioner made the authorities aware of the problem of storage and kept a close guard on the stock. It is also brought to the notice of this Hon'ble Court that there was abnormal delay in distribution of wheat to the concerned FCI centre or in the process of auction. Due to lack of space the procurement centres were also unable to receive wheat from the PACS.

A copy of the correspondences made by the Petitioner is annexed herewith and Marked as **Annexure- 2** series to this application.

11. That after much delay the wheat was lifted by the auction purchaser.

12. That when the auction purchaser of the wheat did not deposited the money for some time the petitioner again wrote to the authorities for getting the payment made by the auction purchaser.

A copy of the letter received by the authorities on 20.2.13 is annexed herewith and Marked as **Annexure- 3** to this application.

13. That vide letter No. 2275 dated 23.08.2013 the Petitioner received the show cause notice asking him show cause as to why proceedings should not be initiated against the petitioner for defalcation of 917.14 quintal of wheat of the cost 13,08,759/- (rupees Thirteen Lac Eight Thousand Seven Hundred Fifty Nine only) which the petitioner was asked to deposit.

A copy of Letter No. 2275 dated 23.08.2013 is being annexed herewith and Marked as **Annexure- 4** to this application.

14. That the petitioner replied to the show cause stating that the condition of the place at which the wheat was stored was bad and no any proper godown was provided nor there was any arrangement of security hence, the wheat was stored at flood relief camp at Gamharia Block.

15. That due to lack of storage facility the lowest row of the sack of wheat touching the ground was badly spoiled. The petitioner further explained that the wheat was auctioned to one Dinesh Poddar. He further explained that altogether 10053.64 Quintals of wheat was purchased against which 9828.05 Quintal of wheat is accounted and money was deposited against it. Later on deposit was also made against 225.59 quintal of wheat by the auction purchaser.

A copy of the reply to show cause is annexed herewith and Marked as **Annexure-5** to this application.

16. That the petitioner received notice dated 13.11.2013 informing him that the certificate case has been instituted against him for recovery of 19, 23, 082/- (Rupees Nineteen Lac Twenty Three Thousand Eighty Two only).

A copy of the notice of certificate proceeding is annexed herewith and Marked as **Annexure- 6** to this application.

17. That the auction purchaser deposited 16,93,100/- (Rupees Sixteen Lac Nineteen Thousand One Hundred only) which was again deposited in the account of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Limited and accordingly the Respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation wrote a letter No. 66 dated 08.01.2014 to the certificate officer informing him about such deposit and reduced the recoverable amount to Rs. 2,29,982/- (Two Lac Twenty Nine Thousand Nine Hundred Eighty Two only).

A copy of letter No. 66 dated 08.01.2014 is annexed herewith and Marked as **Annexure- 7** to this application.

18. That it is humbly submitted that the petitioner was working for the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation as Executive Assistant and was not into any kind of trade with it.

19. That the demand raised by the Respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation is erroneous and unlawful.

20. That the demand raised by the Respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation is not a public demand thus the Respondents could not have taken recourse to the Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

21. That there was no agreement between the petitioner and the respondent Bihar State Food & Civil Supplies Corporation to recover any due amount through the Public Demand Recovery Laws.

22. That admittedly the amount, if any due, was from the auction purchaser and not from this petitioner.

23. That the amount of Rs. 19,23,082 (Rupees Nineteen Lac Twenty Three Thousand Eighty Two only) was deposited by the auction purchaser and after receiving it the respondent wrote to the certificate officer to lower the demand which also substantiate the claim of the petitioner that he was not liable for the amount for which the certificate case was instituted against him.

24. That it is surprising that no any show cause or proceeding has been initiated against the Incharge of the purchase centre in which the petitioner was working.

25. That the impugned action of the respondent is arbitrary.

26. That the demand does not fall in any of the schedules of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

27. That the petitioner has got no other equally efficacious remedy than to move before this Hon'ble Court invoking its extra ordinary jurisdiction.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue Rule calling upon the Respondent authorities as to why the relief prayed in Para 1 of this application may not be granted to the Petitioner and after return of the Rule cause being shown and after hearing the parties the Rule may be made absolute by allowing this writ application

AND / OR

During pendency of this writ application stay the further proceedings of the certificate case No. 23/2013-14 pending before the District Certificate Officer, Madhepura.

And

May pass such order/orders as your Lordship may deem fit and proper.

And for this, the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Nitin Anand, aged about 23 years, Son of Amrendra Mishra, Resident of Village- Vidyapuri, Ward No. 18, S.B.I Road, Madhepura, P.S.- Madhepura, District- Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am the Petitioner in this application and such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the content of the Petition has been read over and explain to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements made in Paragraph **1-17** are true to my knowledge and those made in Paragraph **18-25** are correct to my information as derived from the records of the case and rest are by way of submissions made before this Hon'ble Court.
4. That the Annexure are True Copies/Photo Copies of their respective originals.

Annexure-I

समाहरणालय मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

आदेश

अपर निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र सं0– 250 दिनांक 02 05.11, पत्रांक 309, दिनांक 20.5.11 पत्रांक 272 दिनांक 09.05.11 पत्रांक 407 दिनांक 20.06.11 एवं पत्रांक 879 दिनांक 11.11.11 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 05–08–2011 को जिला चयन समिति द्वारा जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन करने हेतु अनुमोदित मेधा सूची का पैनल तैयार किया गया।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा के पत्रांक 1152 दिनांक 14–12–2011 के द्वारा जिला पैनल से संविदा के आधार पर चार कार्यपालक सहायकों को 11 माह के लिए धान क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची के वरीयता क्रम सं0 35 पर निखिलेश कुमार आलोक (पिछड़ी जाति) एवं क्रम सं0–36 पर नितिन आनन्द (सामान्य) हैं। आरक्षण रोस्टर के कोटि क्रम सं0–58 पर पिछड़ा वर्ग एवं 59 पर अनारक्षित वर्ग का पद रिक्त है।

अतएव जिला चयन समिति द्वारा पूर्व प्रदत्त अनुमोदन एवं जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के रिक्त पद पर निम्न शर्त्तों के अधीन नियोजित किया जाता है–

क0	आई0डी0न0	नियोजित अभ्यर्थी का नाम / पता
01	00010	श्री निखिलेश कुमार आलोक पे0 श्री यदुनन्दन यादव, मा0 ओगावनी, पो0 भवानीपुर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा।
02	01707	श्री नितिन आनन्द, पे0 श्री अमरेन्द्र मिश्रा, सा0 विद्यापुरी मुहल्ला, वार्ड नं0 18, स्टेट बैंक रोड, मधेपुरा

शर्त्त

01 आपका नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

02 आपका नियोजन संविदा के आधार पर की गई है अतएव मानदेय का भुगतान सरकार से स्वीकृत मानदेय मो0 7000/– (सात हजार) रूपया प्रति माह की दर से किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 पटना के पत्रांक 8997 दिनांक 26–11–2011 से प्राप्त निदेश के आलोक में निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा।

03 सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त मानदेय की राशि घटाया– बढ़ाया जा सकता है।

04 नियोजन की कार्यविधि अस्थायी रूप से 11 माह के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।

05 योगदान के समय आपको अपने साथ निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)

(ग) एक यू0 पी0 एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन

06 कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी इसमें लगने वाली Consumable Items (पेपर, कार्टेज आदि) की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जाएगी।

07 Internet connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

08 आपका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर आपकी सेवा तत्तक्षण समाप्त कर दी जाएगी।

09 योगदान के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा– भत्ता देय नहीं होगा।

10 योगदान के समय सभी प्रमाण– पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण– प जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स अभिप्रमाणित) एवं मूल प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

T.C

समाहरणालय मधेपुरा
(स्थापना शाखा)

आदेश

अपर निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र सं.- 250 दिनांक 0205.11, पत्रांक 309 दिनांक 20.05.11, पत्रांक 272 दिनांक 09.05.11 पत्रांक 407 दिनांक 20.06.11 एवं पत्रांक 879 दिनांक 11.11.11 से प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक 05.08.2011 को जिला चयन समिति द्वारा जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन करने हेतु अनुमोदित मेधा सूचि का पैनल तैयार किया गया।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा के पत्रांक 1152 दिनांक 14.12.2011 के द्वारा जिला पैनल से संविदा के आधार पर चार कार्यपालक सहायकों को 11 माह के लिए धान क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची के वरीयता क्रम सं. 35 पर निखिलेश कुमार आलोक (पिछड़ी जाति) एवं क्रम सं. 36 पर नितिन आनन्द (सामान्य) है। आरक्षण रोस्टर के कोटि क्रम सं. 58 पर पिछड़ा वर्ग एवं 59 पर अनारक्षित वर्ग का पद रिक्त है।

अतएव जिला चयन समिति द्वारा पूर्व प्रदत्त अनुमोदन एवं जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) के रिक्त पद पर निम्न शर्त्तों के अधीन नियोजित किया जाता है-

क्र0	आई0डी0न0	नियोजित अभ्यर्थी का नाम / पता
01	00010	श्री निखलेश कुमार आलोक पे. श्री यदुनन्दन यादव, सा. जोगवनी, पो. भवानीपुर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा।
02	01707	श्री नितिन आनन्द, पे. श्री अमरेन्द्र मिश्रा, सा. विद्यापुरी मुहल्ला, वार्ड नं. 18, स्टेट बैंक रोड, मधेपुरा

शर्त्त

01. आपका नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये आपकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
02. आपका नियोजन संविदा के आधार पर की गई है अतएव मानदेय का भुगतान सरकार से स्वीकृत मानदेय मो. 7000/- (सात हजार) रुपया प्रति माह की दर से किया जाएगा। प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि. पटना के पत्रांक 8997 दिनांक 26.11.2011 से प्राप्त निदेश के आलोक में निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा।
03. सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त मानदेय की राशि घटाया बढ़ाया जा सकता है।
04. नियोजन की कार्यविधि अस्थायी रूप से 11 माह के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी।
05. योगदान के समय आपको अपने साथ निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
    (क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाइट)
    (ग) एक यू.पी.एस. (घ) इन्टरनेट कनेक्शन
06. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी इसमें लगने वाली Comsumable Itesms (पेपर कार्टिज आदि) की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जाएगी।
07. Internet connection का Bill नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
08. आपका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर आपकी सेवा तत्तक्षण समाप्त कर दी जाएगी।
09. योगदान के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
10. योगदान के समय सभी प्रमाण - पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण - प जाति प्रमाण पत्र, आवासीय पत्र की छायाप्रति (स अभिप्रमाणित) एवं मूल प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

11. आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर अपना योगदान जिला स्थापना शाखा मधेपुरा में अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे / निर्धारित तिथि के बाद योगदान नहीं लिया जाएगा एवं आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।

12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा।

13. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता

मधेपुरा

ज्ञापांक 636-2 / स्था0, दिनांक 26-12-2011

प्रतिलिपि:– सभी नवनियोजित कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / अपर मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,

मधेपुरा।

T·C

11. आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर अपना योगदान जिला स्थापना शाखा मधेपुरा में अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे / निर्धारित तिथि के बाद योगदान नहीं लिया जाएगा एवं आपके दावे को रद्द कर दिया जाएगा।
12. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जाएगा।
13. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
मधेपुरा

ज्ञापांक 626-2 / स्था. दिनांक 26.12.2011

प्रतिलिपि - सभी नवनियोजित कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / कोषगार पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आयुक्त, कोषी प्रमंडल, सहरसा / अपर मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
मधेपुरा

116
18.07.12
Ri

Annexure series 2 -

13

सेवा मे,

जिला प्रबंधक

बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

विषय:- गेहूँ उठाव करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र घैलाढ़ का क्रय केन्द्र बाढ़ राहत शिविर जम्हरिया मे भवदीय के आदेश से किया गया था। बाढ़ राहत शिविर मे गेहूँ रखने के फलस्वरूप उसमे नमी की मात्रा अधिक बढ़ रही है। बरसात का समय है। प्लास्टिक से ढकने के बावजूद उसमे बरसात का छीटा पड़ते रहता है तथा उसमे सूड़ा भी बहुत अधिक लग गया है। चूहों के द्वारा जगह-जगह पर बिल बनाने के कारण गेहूँ पूरी तरह से असुरक्षित है। तथा शेड के ऊपर से भी पानी गिरता रहता है। इस अवस्था मे हमलोग फसल प्रवर्तन सार्टिफिकेट देने मे असमर्थ हो रहे हैं।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूँ को बेस गोदाम मे भेजवाने का कृपा करें।

विश्वासभाजन

नितीन आनंद

18.07.12

कार्यपालक सहायक

गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, घैलाढ़।

T-C

116
18.07.12

सेवा में,

जिला प्रबंधक
बिहार राज्य खादय निगम, मधेपुरा।

विषय : गेहूं उठाव करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र धैलाढ़ का क्रय केन्द्र बाढ़ राहत शिविर गम्हरिया में भवदीय के आदेश से किया गया था। बाढ़ राहत शिविर में गेहूं रखने के फलस्वरूप उसमें नमी की मात्रा अधिक बढ़ रही है। बरसात का समय है प्लास्टिक से ढकने के बावजूद उसमें बरसात का झीटा पड़ते रहता है तथा उसमें सूड़ा भी बहुत अधिक लग गया है। चूहों के द्वारा जगह-ज़गह पर बिल बनाने के कारण गेहूं पूरी तरह से असुरक्षित है। तथा शेड के ऊपर से भी पानी गिड़ता रहता है। इस अवस्था में हमलोग पैक्स को प्रवर्त्तन सार्टिफिकेट देने में असमर्थ हो रहे हैं।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूं को बेस गोदाम में भेजवाने का कृपा करें।

विश्वासभाजन
नितीन आनंद
18.07.12
कार्यपालक सहायक
गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र, धैलाढ़।

125
21.07.12

सेवा में

जिला प्रबंधक
बिहार राज्य खाद्य निगम मधेपुरा।
विषय:- गेहूँ उठाव करवाने के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र हौलाट को क्रय केन्द्र श्रीमान के आदेश से बाढ़ राहत शिविर उदाकिशुनगंज में किया गया है। जिसमें लगभग पैक्सो से 5200 क्विंटल गेहूँ [illegible] तक खरीदा गया था। बरसात का मौसम है वर्षा हो रही है। प्लास्टिक से ढकने के बावजूद उसमें [illegible] एक प्रकार का काला कीड़ा का प्रवेश कर गया है। [illegible] रहता है जिससे गेहूँ में [illegible] फट गये हैं तथा शेड पर से पानी टपकते रहता है। चारों तरफ से चूहा के द्वारा तरह तरह के बिल बनाया जा रहा है जिससे गेहूँ पूरी तरह से असुरक्षित है। विभिन्न पैक्सो अध्यक्षों के द्वारा तरह तरह की बातें सुनना पड़ रहा है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूँ उठाव करवाया जाए। पैक्स के हालात के चलते हमलोगों को Enforcement Certificate होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

विश्वासभाजन
[illegible] आनंद
21.07.12
गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, हौलाट

T-C

125
21.07.12

सेवा में,

जिला प्रबंधक
बिहार राज्य खादय निगम, मधेपुरा।

विषय : गेहूं उठाव करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र धैलाढ़ का क्रय केन्द्र श्रीमान के आदेश से बाढ़ राहत शिविर गम्हरिया में किया गया है। जिसमें लगभग पैक्सों से 5300 क्विंटल गेहूं .... तक खरीदा गया था। बरसाता का मौसम है वर्षा रोज हो रही है। प्लास्टिक से ढकने के बावजूद उसमें सूड़ा तथा एक प्रकार का काला कीड़ा का प्रवेश कर गया है। वर्षा का छीटा भी पड़ते रहता है जिससे गेहूं में नमी की मात्र बढ़ गई है तथा शेड पर से पानी टपकता रहता है। चारो तरफ से. चूहा के द्वारा तरह तरह के बिल बनाया जा रहा है जिससे मेहूं पूरी तरह से असुरक्षित है। विभिन्न पैक्सों अध्यक्षों के द्वारा तरह-तरह की बातें सुनना पड़ रहा है।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूं उठाव करवाया जाय। पैक्स के दबाव के चलते हमलोगों को Enforcemnt Certificate देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूं को बेस गोदाम में भेजवाने का कृपा करें।

विश्वासभाजन
नितीन आनंद
21.07.12
गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र, धैलाढ़।

243
8-9-12

15

सेवा में

जिला प्रबंधक

बिहार राज्य खादय निगम, मधेपुरा।

विषय : गेहूँ उठाव करवाने के संबंध में ।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र घैलाढ़ का क्रय केन्द्र बाढ़ राहत शिविर गम्हरिया में भवदीय के आदेश से किया गया था। पैक्सो के माध्यम से हमने गेहूँ की खरीद की थी। गेहूँ का खरीदना दो महीने से अधिक हो गया है। बाढ़ शिविर में रखा गेहूँ सूडा एवं कीडा के कारण खराब हो गया है। जगह जगह चूहो के द्वारा नये–नये बिलो को बनाया जा रहा है। इस कारण गेहूँ मे नमी की प्रतिशतता तथा कमी की भी गुजांइस दिखाई दे रही है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन एवं प्रार्थना है कि जल्द से जल्द गेहूँ उठाव की कोशिश की जाय।

विश्वासभाजन

नितीन आनंद
08/09/12

कार्यपालक सहायक, घैलाढ़।

253
20/09/12
R

(16) TC

सेंवा में

जिला प्रबंधक

बिहार राज्य खादय निगम मधेपुरा।

विषय :– B.S.F.C गोंदाम गम्हरिया से गेहूँ ट्रांसपोटरों के माध्यम से उठाव करवानें के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र घैलाढ़ का क्रय केंन्द्र बाढ़ राहत शिविर गम्हरिया मे श्रीमान् के आदेश से किया गया था। हमने पैक्सों के माध्यम से गेहूँ का क्रय भी किया। दो महीनो से अधिक हो जाने के कारण गेहूँ की गुणवत्ता में भारी कमी तथा गेहूँ का सड़ना शुरू हो गया है। बीच – बीच में चूहों के द्वारा गेहूँ को भारी क्षति पहुँचाई जा रही है और सूड़ा की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। बरसात का मौसम है और नमी की मात्रा मे काफी बढ़ोतरी हो गई है। इस परिस्थिति में सही समय पर गेहूँ का उढ़ाव सुनिश्चित नही होने पर इसमें हमारी जबावदेही नही हो कर सारी जबावदेही निगम की होगी ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूँ ट्रांसपोटरों के माध्यम से उढ़ाव करने की कृपा की जाय ताकि राष्ट्रीय सम्पतिं को नुकसान से बचाया जा सके और सही समय पर किसानों को उनका अपना हक मिल सकें।

विश्वासभाजन
नितीन आनंद
20/09/12
कार्यपालक सहायक
गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, घैलाढ़, मधेपुरा।

17

सेंवा में

जिला प्रबंधक

बिहार राज्य खादय निगम मधेपुरा।

विषय :— गेहूँ सड़ जाने के संबंध में

महाषय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र घैलाढ़ का क्रय केंन्द्र बाढ़ राहत षिविर गम्हरिया मे श्रीमान् के आदेष से किया गया था। हमलोगो को अत्यधिक दबाब पड़ने के कारण हमने पैक्सों के माध्यम से गेहूँ का क्रय भी किया। अधिक समय हो जाने के कारण गेहूँ की गुणवत्ता में भारी कमी तथा गेहूँ सड़ गया है तथा नीचे का सारा बोड़ा गेहूँ सहित बर्बाद हो गया है। बीच – बीच में चूहों के द्वारा गेहूँ को भारी क्षति पहुँचाई जा रही है और सूड़ा की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है। गेहूँ का सेम्पल दिखाने के दौरान भारतीय खाद्य निगम उसे मानक के अनुरूप नही होने का बहाना बनाकर उसे अस्वीकृत कर देता है तथा अनाप षनाप रूप्या पैसा का मांग करता रहता है। विभिन्न पैक्सो के द्वारा लगभग 3500 क्विंटल गेहूँ जस–तस अवस्था मे क्रय केन्द्र परं पड़ा है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द गेहूँ उठाव करने की कृपा की जाय ताकि राष्ट्रीय सम्पतिं को नुकसान से बचाया जा सके और सही समय पर किसानों को उनका अपना हक मिल सके।

विश्वासभाजन

Nitin Anand
17.11.12

कार्यपालक सहायक

गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, घैलाढ़, मधेपुरा।

Annexure-3

सेवा मे,

जिला प्रबंधक

बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

विषय :- ट्रांसपोर्टर द्वारा, गेहूँ उठाव के बावजूद प्राप्ति रसीद नही देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त बिषय के संबंध मे कहना है कि गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र, घैलाढ का गेहूँ ट्रांसपोटरो के द्वारा (पवन सिंह) दिनांक 31.10.12 को 150.00 क्विंटल दिनांक 06.11.12 को 280.00 क्विंटल गेहूँ उठाया गया है। जिसका प्राप्ति रसीद ~~अभी तक प्राप्त नही हुआ है।~~ कुल मिलाकर 430.00 क्विंटल का प्राप्ति रसीद नही मिला है। बार-बार कहने पर ट्रांसपोटरो (संतोष) के द्वारा टाल-मटोल रवैया अख्तियार किया जा रहा है। टाल-मटोल रवैया के कारण अभी तक गेहूँ का पुरा हिसाब नही मिल रहा है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द ट्रांसपोटरो के द्वारा प्राप्ति रसीद दिलाने की कृपा की जाय ताकि ससमय गेहूँ का हिसाब उपलब्ध हो सके।

20-2-13

विश्वासभाजन

नितीन आनंद

कार्यपालक सहायक

घैलाढ।

T.C

सेवा में,

जिला प्रबंधक
बिहार राज्य खादय निगम, मधेपुरा।

विषय : ट्रांसपोर्टर द्वारा गेहूं उठाव के बावजूद प्राप्ति रसीद नहीं देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र, धैलाढ़ का गेहूं ट्रांसपोटरों के द्वारा (पवन सिंह) दिनांक 31.10.12 को 150.00 क्विंटल दिनांक 06.11.12 को 280.00 क्विंटल गेहूं उठाया गया है। जिसका प्राप्ति रसीद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 430.00 क्विंटल का प्राप्ति रसीद नहीं मिला है। बार-बार कहने पर ट्रांसपोटरों (संतोष) के द्वारा टाल-मटोल रवैया अस्वतियार किया जा रहा है। टाल-मटोल रवैया के कारण अभी तक गेहूं का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द ट्रांसपोटरों के द्वारा प्राप्ति रसीद दिलाने की कृपा की जाय ताकि ससमय गेहूं का हिसाब उपलब्ध हो सके।

विश्वासभाजन
नितीन आनंद
कार्यपालक सहायक
धैलाढ़।

Annexure-4

19

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

दूरभाष : 225717, 223051, 223213, 237307

मुख्य कार्यालय : सोन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

फैक्स : 0612-237307

पत्र संख्या 2275 दिनांक 23/8/13

प्रेषित,
श्री नितिन आनन्द
कार्यपालक सहायक, चौसा

विषय:- गेहूँ की क्षति के संबंध में

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा चौसा क्रय केन्द्र में 2012-13 कुल - 10053.64 क्वी० गेहूँ क्रय किया गया था। आपके प्रतिवेदन के आधार पर 6843.50 क्वी० गेहूँ FCI में भेजने के पश्चात् आपके केन्द्र पर 3210.14 क्वी० गेहूँ अवशेष दिखाया गया था जिसमें से मात्र 2293 क्वी० गेहूँ निलामी में दिया गया है। शेष 917.14 क्वी० गेहूँ आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराना, आपके द्वारा किये गये गबन को उजागर करता है।

आपको आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर क्षति/गबन गेहूँ की मात्रा 917.14 क्वी० का मूल्य 13,08,759 रु० निगम के खाते में जमा [illegible] ~~कर दिया जाए~~ अन्यथा आपके विरुद्ध प्राथमिकी एवं PDR Act के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

23/8

जिला ~~प्रबंधक~~
मधेपुरा

TC

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि.

(बिहार सरकार का उपक्रम)

दूरभाष : 225717
223051
223213
237307

मुख्य कार्यालय : सोन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1 फैक्स : 0612-237307

पत्र संख्या 2275 दिनांक 23.8.13

प्रेषित,

श्री नितिन आनन्द
कार्यपालक सहायक, धैलाढ़

विषय : गेहूं का क्षति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा धैलाढ़ क्रय केन्द्र में 2012-13 कुल - 10053.64 क्वीं गेहूं क्रय किया गया था। आपके प्रतिवेदन के आधार पर 6843.50 क्वीं. गेहूं FCI में भेजने के पश्चात् आपके केन्द्र पर 3210-14 क्वीं गेहूं निलामी में दिया गया है। शेष 917.14 क्वीं गेहूं आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराना, आपके द्वारा किये गये गबन को उजागर करता है।

आपको आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर क्षति (गबन गेहू की मात्रा 917. 14 क्वीं. का मूल्य 13,08,759 रु. निगम के खाते में जमा करें। अन्यथा आपके विरूद्ध प्राथमिकी एवं PDR Act के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ह०/अस्पस्ट
23.8.13
जिला प्रबंधक
मधेपुरा

Annexure-5

20

प्रेषक,

कार्यपालक सहायक
गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र
घैलाढ़।

सेवा में,

उप प्रमुख दावा आपत्ति
बिहार राज्य खाद्य निगम,
पटना।

द्वारा - जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

विषय:- गेहूँ के वजन में हुई क्षति की राशि जमा करने से मुक्त [illegible] के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि [illegible] 2011-12 में [illegible] के द्वारा खरीदे गये गेहूँ के वजन में आई कमी की [illegible] [illegible] नहीं है। इस संदर्भ में हमें श्रीमान् से कहना है कि :-

1. [illegible] आयुक्त, बिहार पटना के पत्रांक 2331 दिनांक 13.04.12 के आलोक में रबी विपणन मौसम 2012.13 के अन्तर्गत मुझे घैलाढ़ प्रखंड में कार्यपालक सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। मुझे प्रतिदिन गेहूँ क्रय से संबिधित रिपोर्टिंग स्टाम्प इन्फोर्समेंट सर्टिफिकेट निर्गत करने का निर्देश दिया गया था।
2. यह है कि गेहूँ क्रय हेतु हमें न ही सुरक्षित जगह दिया गया और न ही कोई सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी।
3. यह है कि घैलाढ़ प्रखंड में रखरखाव नहीं होने के कारण हमें घैलाढ़ का क्रय केन्द्र [illegible] प्रखंड के बाढ़ राहत शिविर में दिया गया जो कि पहले से पूरी तरह असुरक्षित था।
4. हमने गेहूँ का क्रय मुख्यतः पैक्सों के माध्यम से की। हमने 23.06.12 से गेहूँ का क्रय [illegible] राहत शेड में शुरू कर दिया। हमने पैक्सों के माध्यम से कुल 10053.64 क्वींटल गेहूँ का क्रय किया।
5. यह है कि हमने 6843.50 क्वींटल गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम को हस्तगत भी [illegible] किया। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम के अड़ियल रवैया के कारण [illegible] हमारा गेहूँ को [illegible] [illegible] बहाना बनाकर अस्वीकार कर [illegible] लौटा देता था और कहता था कि [illegible] गेहूँ [illegible] के अनुकूल नहीं है [illegible] हमने काफी मशक्कत करने के बाद 6843.50 [illegible] जमा [illegible] सके। उसके बाद काफी [illegible] को [illegible] कुछ न कुछ बहाना बना [illegible] [illegible] इस कारण हमारे गोदाम में 2293.67 क्वींटल गेहूँ [illegible] [illegible]

T-C

प्रेषक,

कार्यपालक सहायक
गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र
धैलाढ़

सेवा में,

उप प्रमुख दावा आपत्ति
बिहार राज्य खाद्य निगम,
पटना।

द्वारा- जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

विषय - गेहूं के वजन में हुई क्षति की राशि जमा करने से मुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि 2011-12 (अस्पस्ट) के खरीदे गये गेहूं के वजन में आई कमी के लिए हम किसी भी तरह से दोषी नहीं है। इस संदर्भ में हमें श्रीमान से कहना है कि :-

1. विकास आयुक्त, बिहार पटना के पत्रांक 2331 दिनांक 13.04.12 के आलोक में रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के अन्तगर्गत मुझे धैलाढ़ प्रखं डमें कार्यपालक सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। मुझे प्रतिदिन गेहूं क्रय से संबंधित रिर्पोटिंग ससमय इन्फोर्समेंट सर्टिफिकेट निर्गत करने का निर्देश दिया गया था।
2. यह है कि गेहूं क्रय हेतु हमें न ही सुरक्षित जगह दिया गया और न ही कोई सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी।
3. यह है कि धैलाढ़ प्रखं डमें रखरखाव नहीं होने के कारण हमें धैलाढ़ का क्रय केन्द्र, गम्हरिया प्रखंड के बाढ़ राहत शिविर में दिया गया जो कि पहले से पूरी तरह असुरक्षित है।
4. हमने गेहूं का क्रय मुख्यत: पैक्सों के माध्यम से की। हमने 23.06.12 से गेहूं का क्रय बाढ़ राहत शेड में शुरू कर दिया। हमने पैक्सों के माध्यम से कुल 10053.64 क्वींटल गेहूं का क्रय किया।
5. यह है कि हमने 6843.50 क्वींटल गेहूं को भारतीय खाद्य निगम को हस्तगत भी करा दिया। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम के अड़यल रवैया के कारण वह हमारा गेहूं को कुछ व कुछ बहाना बनाकर अस्वीकृत कर लौटा देता था और कहता था कि आपका गेहूं मानक के अनरूप नही है जिस कारण हमने काफी मशक्कत करने के बाद 6845.50 क्वींटल ही जमा कर सके। उसके बाद कभी हड़ताल तो कभी कुछ न कुछ बहाना बना देते थे इस कारण हमारे गोदाम में 2293.00 क्वींटल गेहूं उसी तरह रह गया। (अस्पस्ट) शेड

की स्थिति अच्छी नही रहने के कारण नीचे का एक लेयर गेहूँ सहित बोड़ा सड़ गया और घुड़ा के द्वारा गेहूँ का फोकना शुरू कर दिया।

6. यह है कि हमने भवदीय को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया मगर निगम कभी भी इसकी सुधि नही ली। बाढ़ राहत शेड में उपर से पानी टपकता रहता था और बारिस के मौसम में प्लास्टिक के बाबजूद गेहूँ में नमी की मात्रा अधिक हो गई थी और गेहूँ पाउडर के रूप ले रहा था।

7. दिनांक 15.12.12 को जिला प्रबंधक, रा0खा0नि0 के ब्यादेशी संख्या 773 के आलोक में गेहूँ का नीलामी श्री दिनेश पोद्दार के नाम से की गई जो दिनांक 28.12.12 से गेहूँ का उठाव शुरू कर दिये। बार बार निलामी कर्ता द्वारा 2293.00 क्वींटल गेहूँ का उठाव करते करते 24.01.13 तक हो गया जिस कारण 50 किलो का बोड़ा 47-48 हो गया था और घुड़ा और कीड़ा के कारण पूरा गेहूँ फोक गया था और एक परत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था।

8. यह है कि हमने 10053.64 क्वींटल गेहूँ क्रय करके 9828.05 क्वींटल किसी तरह जमा करवा पाये शेष 225.59 क्वींटल हमारे उपर क्षति के रूप में चला आया जिसमें हमने 125.76 क्वींटल की राशि निगम के खाता में जमा कर दिया। इस प्रकार अब हमारे उपर 99.83 क्वींटल क्षति का आरोप लगा है।

उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी समय समय पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपूरा को बार बार लिखित और मौखिक रूप से कर देते थे जिसकी छायाप्रति हमारे पास उपलब्ध है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गेहूँ में जो भी क्षति हुई इसके लिए इस गरीब नवनियोजित अप्रशिक्षित कार्यपालक सहायक को मुक्त करने की महती कृपा की जाय ताकि श्रीमान् का जिंदगी भर सदा आभारी बना रहूँगा।

Nitin Anand
21.12.14
कार्यपालक सहायक
गेहूँ अधिप्राप्ति केन्द्र
~~[illegible]~~।
सेलाद।

T-C

की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण नीचे का एक लेयर गेहूं सहित बोड़ा सड़ गया और सूड़ा के द्वारा गेहूं का फोकना शुरू कर दिया।

6. यह है कि हमने भवदीय को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत भी कराया मगर निगम कभी भी इसकी सुधि नहीं ली। बाढ़ राहत शेड में उपर से पानी टपकता रहता था और बारिस के मौसम में प्लास्टिक के बावजूद गेहूं में नमी की मात्रा अधिक हो गई थी। और गेहूं पाउडर के रूप ले रहा था।
7. दिनांक 15.12.11 को जिला प्रबंधक, रा.खा.नि. के ब्यादेशी संख्या 773 के आलोक में गेहूं का नीलामी थी दिनेश पोदार के नाम से की गई जो दिनांक 28.12.12 से गेहूं का उठाव शुरू कर दिये। बार बार निलामी कर्ता द्वारा 2293.00 क्वींटल गेहूं का उठाव करते करते 24.01.13 तक हो गया जिस कारण 50 किलो का बोड़ा 47-48 हो गया था और सूड़ा और कीड़ा के कारण पूरा गेहूं फोक गया था और एक परत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था।
8. यह है कि हमने 10053.64 क्वींटल गेहूं क्रय करके 9828.05 क्वींटल किसी तरह जमा करवा पाये शेष 225.59 क्वींटल हमारे उपर क्षति के रूप में चला आया जिसमें हमने 125.76 क्वींटल की राशि निगम के खाता में जमा कर दिया। इस प्रकार अब हमारे उपर 99.83 क्वींटल क्षति का आरोप लगा है।

उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी समय समय पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को बार बार लिखित और मौखिक रूप से कर देते थे जिसकी छायाप्रति हमारे पास उपलब्ध है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गेहूं में जो भी क्षति हुई इसके लिए इस गरीब नवनियोजित अप्रशिक्षित कार्यपालक सहायक को मुक्त करने की महती कृपा की जाय ताकि श्रीमान का जिंदगी भर सदा आभारी बना रहूंगा।

Nitin Anand
21-02-14
कार्यपालक सहायक
गेहूं अधिप्राप्ति केन्द्र
ढ़ौलाढ़।

Annexure-6

डी.पी.नं.-1530
13/11/13

Schedule xlv-Form N0- 52 H.
का फारम सं0 ६७ वी ।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉ० लि०, मधेपुरा

975 छं०- 23 / 2013-14

सर्टिफिकेट देनदार की नोटिस

देखिये दफा ७, बिहार वो उड़ीसा ऐक्ट नं0 ४ सन् १९१४ का ।

सर्टिफिकेट देनदार का नाम श्री नीतिन आनंद (कार्यपालक सहायक) पैक्सी अमरेन्द्र मिश्रा सा० विद्यापुरी वार्ड नं०-18, मधे०
के नाम आपको इसकी रू0 से जनाया जाता है कि आप के ऊपर 19,23,082=00
रूपये के लिए जो आपसे अधिप्राप्ति गेहूँ का मूल्य
की बाबत पावना है बिहार और उड़ीसा के सरकारी मोतालवी के वसूल करने के ऐक्ट सन् १९१४ की दफा 7 की रू0 से एक सर्टिफिकेट आज के दिन मेरे ऑफिस में नत्थी किया गया है । जो आपके ऊपर बताये हुए 19,23,082=00 रूपये देने की अपनी जिम्मेवारी को नकारते है तो आप इस नोटिस को तामिल होने के तीस दिन के भीतर अपनी सारी जिम्मेवारी या उसके किसी हिस्से को नकारती हुई एक दरखास्त दाखिल कर सकते है । तो आप ऊपर बताये हुए तीस दिन के भीतर दरखास्त दाखिल करें या इस बात के लिए सबबनें दिखलाईएगा या पूरा सबब न दिखलाईए कि ऐसा सर्टिफिकेट क्यों न जारी किया जाना चाहिए तो वह आपके

19,23,082=00 रूपये (रूपया मोतालवे के और 4-50 रूपया वसूल करने के खर्च के लिए) मेरे ऑफिस में न दिया जाय को कहे हुए एक्ट की शर्तों के मुताबिक जारी किया आपका अबतक बची हुई रकम इस तरह से न दी जाय आपको इसकी रूपया से मना किया जाता है कि आप अपनी गैर मनसूबा जायदाद या उसके किसी हिस्से को बिक्री दान बन्धक या और किसी को छिपाईएगा, हटाईएगा तो वह सर्टिफिकेट फौरन जारी किया जायगा ।

ऊपर बताये हुए सर्टिफिकेट के एक परत उसके साथ नत्थी की जाती है । आप सर्टिफिकेट का नम्बर और सन् लिखकर मनिऑडर के जरिये रूपया भेज सकते हैं । आज ता0 13

माह 11 सन् २० 13 ई0 ।

उपस्थिति तिथि - 10/12/13

ह०
जिला सर्टिफिकेट ऑफिसर
मधेपुरा
13/11/13

डी.बी.न. 1530/13.11.13   TC

Schedule XIV-Form No. – 52H

ई० का फारम सं. 87 बी।

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉ. लि., मधेपुरा

वाद संख्या 23 / 2013–14

सर्टिफिकेट देनदार का नोटिस।

देखिए दफा 7, बिहार वो उड़ीसा ऐक्ट न. 4 सन् 1914 का।

सर्टिफिकेट देनदार का नाम श्री नीतिन आनंद (कार्यपालक सहायक) पे. श्री अमरेन्द्र मिश्रा सा. विद्यापुरी वार्ड नं. 18, मधेपुरा के नाम आपको इसकी रू से बचाया जाय। है कि आपके ऊपर 19,23,082.00 रुपये के लिये आपसे अवशेष गेहूं का मूल्य की बावत पावना है बिहार और उड़िसा के सरकारी मोतालबों के वसूल करने के ऐक्ट सन् 1914 की दफे 7 की रू से एक सर्टिफिकेट आज के दिन मेरे ऑफिस में नत्थी किया गया है। जो आपके ऊपर बताये हुए 19,23,082.00 रुपये के देने की अपनी जिम्मेवारी या उसके किसी हिस्से को सकारती हुई एक दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। तो आप ऊपर बताये हुए तीस दिन के भीतर दरखास्त दाखिल न करें या इस बात के लिये सबब न दिखलाइएगा या पूरा सबब न दिखलाइए कि ऐसा सर्टिफिकेट क्यों न जारी किया जाना चाहिए तो वह आपके 19,23,082.00 रुपये मुतालबे के और 4=50 रुपया वसूल करने के खर्च के लिये) मेरे ऑफिस में न दिया जाने पर कहे हुए ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक जारी किया जायेगा जबतक कही हुई रकम इस तरह से न दे दी जाय आपको इसकी रू से मना किया जाता है कि आप सम्पर्क गैर मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्से की बिक्री, दान, बन्धक या और किसी हक से अलग न करें। जो आप इस बीच में अपनी मनकूला जायदाद के किसी हिस्से को छिपाइयेगा, हटाइयेगा या बेचियेगा तो वह सर्टिफिकेट फौरन जारी किया जायेगा।

ऊपर बताये हुए सर्टिफिकेट की एक परत इसके साथ नत्थी की जाती है। आप सर्टिफिकेट का नम्बर और सन् लिख कर मनिआर्डर के जरिये रुपया भेज सकते हैं।

आज ता. 13 माह 11 सन् 2013 ई.।

ह०/अस्पस्ट

13.11

उपस्थिति तिथि : 10.12.13

जिला सर्टिफिकेट ऑफिसर

मधेपुरा

13.11.13

Annexure-7

(23)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

दूरभाष : 225717
223051
223213
237307
फैक्स : 0612-237307

मुख्य कार्यालय : सोन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

पत्र संख्या 66......

दिनांक 08-01-2014

प्रेषक,

जिला प्रबंधक
मधेपुरा।

सेवा में,

निलाम पत्र पदाधिकारी
मधेपुरा।

विषयः- कार्यपालक सहायक पर किये गए certificate case के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री नितिन आनंद कार्यपालक सहायक के उपर वाद सं0 23/2013-14 के तहत 19,23,082/- रु0 का certificate case किया गया था जिसके विरुद्ध श्री नितिन आनंद द्वारा 16,93,100/- रु0 जमा किया गया है, शेष राशि (2,29,982/- रु0) की वसूली विचाराधीन है।

कार्यपालक सहायक का नाम	वाद सं0	वाद राशि	जमा राशि	शेष राशि
नितिन आनंद	23/2013-14	19,23,082	16,93,100	2,29,982

विश्वासभाजन

जिला प्रबंधक
रा0 खा0 नि0
मधेपुरा

T-C

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि.

(बिहार सरकार का उपक्रम)

दूरभाष : 225717
223051
223213
237307

मुख्य कार्यालय : सोन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1 फैक्स : 0612-237307

पत्र संख्या 66

दिनांक 08.01.2014

प्रेषक,

जिला प्रबंधक
मधेपुरा।

सेवा में,

निलाम पत्र पदाधिकारी
मधेपुरा।

विषय :- कार्यपालक सहायक पर किये गए Certificate Case के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री नितिन आनंद कार्यपालक सहायक के उपर वाद सं. 23/2013-14 के तहत 19,23,082/-रु. का Certificate Case किया गया था जिसके विरूद्ध श्री नितिन आनंद द्वारा 16,93,100/- रु. जमा किया गया है, शेष राशि (2,29,982/- रु.) की वसूली विचाराधीन है।

कार्यपालक सहायक का नाम	वाद सं.	वाद राशि	जमा राशि	शेष राशि
नितिन आनंद	23/2013-14	19,23,082	16,93,100	2,29,982

विश्वासभाजन
ह०/अस्पस्ट
8.1.14
जिला प्रबंधक
रा.खा.नि.
मधेपुरा

एक प्रति पाया
ह०/अस्पस्ट
10.1.14